न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2017

आईदान पुत्र ठाकरसी जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) दिनांक 03.10.2017

उपस्थितिः—

श्री एम.एल. पूनियां अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोरधन ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के सगे भाई आईदान ने गांव ठाकरी ए गलत ब्यान करके व राज्य सरकार को धोखा देकर मु.नं. 6 में 24.10 बीघा, 12 में 6.10 बीघा कुल 31 बीघा भूमि आवंटन करवा रखी है जिसे वह आवंटन करवाने का हकदार नहीं है। आईदान के नाम से चक 39 एनपी में 3.10 बीघा नहरी भूमि खातेदारी भूमि है तथा उसकी पत्नी के नाम से चक 86 जीबी में 9 बीघा भूमि है। प्रार्थी के पिता नाम से खरीद 61 बीघा भूमि थी जिसे काफी साल पहले विक्रय कर दिया था। प्रार्थी के भाई ने पिता के नाम वाली भूमि, अपनी व पत्नी की भूमि को छुपाकर उक्त 31 बीघा भूमि आवंटन करवायी है। अतः उक्त 31 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया जावे। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 17.02.1997 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को तलब करने के आदेश दिये एवं दिनांक 09.07.1997 को पत्रावली

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जिला कलक्टर को सुनवाई हेतु भिजवा दी। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली अतिरिक्त कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 03.10.2017 को उक्त भूमि में से 6 बीघा भूमि रिज्युम करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के भाई ने रंजिशवश शिकायत पेश की थी। अधी. न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है फिर भी इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। अपीलांट का आवंटन के पश्चात समस्त किश्तें जमा करवा दी एवं अपीलांट को खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर आवंटन निरस्त किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 1984 Noc 53 का हवाला दिया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित हो चुका था कि अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है। अपीलांट 25 बीघा भूमि रख सकता था। अधी. न्यायालय ने शेष 6 बीघा भूमि खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 6 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्युम की गई है जो अपीलांट को आवंटित कृषि

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि के खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात उसे रिज्युम नहीं किया जा सकता। अतः निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है कि राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11/14 में प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी आईदान को तत्समय उसकी आवंटन सीमा तक पात्रता के हिसाब से वक्त आवंटन 6 बीघा बारानी भूमि अधिक आवंटन पाया जाने से उसकी फलावट मुताबिक भूमि की किस्म अनुरूप गणना कर 6 बीघा बारानी भूमि बहक सरकार रिज्युम की जाती है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 30.06.1983 से अप्रार्थी आईदान के मु.नं. 23 की 24.10 बीघा बारानी व मु.नं. 29 की 6.10 बीघा बारानी कुल 31 बीघा बारानी भूमि राज रेट पर पुख्ता आवंटन की गई है उसमें से उसके द्वारा धारित भारमुक्त 6 बीघा बारानी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवायी जावे तथा राजस्व अभिलेखों में उसे आराजी राज दर्ज किया जावे।

निर्णय राज.उपनिवेशन अधि. 1954 की धारा 11 पठित धारा 14 के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसकी bare reading है कि 11. False information by the tenant.—If any person who, after the commencement of this Act, has been put in possession of land in a colony as a tenant, shall have given false information intending or having reason to believe that any officer of the State Government may be thereby deceived regarding his qualifications to become a tenant, he shall be deemed to have committed a breach of the conditions of his tenancy.

14. Penalty for breach of conditions.—When the Collector is satisfied that a tenant in possession of land in a colony has committed a breach of the conditions of his tenancy, he may, after giving the tenant an opportunity to appear and state his objection,— (i) impose on the tenant a penalty not exceeding [two thousand rupees,] or (ii) order the resumption of the tenancy अधी. न्यायालय के निर्णय में यह विवेचन कहीं नहीं हुआ है कि अपीलांट टीनेन्ट द्वारा क्या False intermatioan

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दी है, False intermatioan trace-out करने के लिए अधी. न्यायालय द्वारा एक query की गई,सन्दर्भ पत्र की इबारत है कि न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर, क्रमांक रीडर/एडीएम/प्र./98/1453 दिनांक 09.06.98 उपखंडाधिकारी (राजस्व)..........., तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर, विषयः– सीगा 11/14 प्रकरण सं. 92/97 अनवान गोरधन बनाम आइदान ता. पेशी 08.07.98, उपरोक्त विषयक अनवानी वाद अन्तर्गत धारा 11/14 राज.कोलो. एक्ट के तहत शिकायत प्राप्त होने पर विचाराधीन है जो काफी अर्से से चल रहा है। जिसमें यह शिकायत की गई है कि चक ठाकरी(ए) के मु.नं. 6/24.10, 12/6.10 कुल 31 अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवाई है। अतः प्रकरण में निम्न बिन्दुओं की सूचना आगामी ता.पेशी 08.07.98 से पूर्व भिजवावे। (1) उक्त रकबे का आवंटन किसी अधिकारी द्वारा एवं आवंटन आदेश क्रमांक व दिनांक से अवगत करावे। (2) अलॉटी का नाम मय वल्दियत एवं वर्तमान पता से अवगत करावे। (3) वर्तमान में उक्त आराजी पर कौन व्यक्ति एवं किस हैसियत से तथा कब से काबिज चला आ रहा है। (4) आवंटी के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि हो तो उसका विवरण भी कर भिजवावें।

अधी. न्यायालय की पत्रावली की फर्दअहकाम के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधी. न्यायालय द्वारा की गई query quench नहीं हुई फिर भी निर्णय किया गया।

अपील मीमों का सार बिन्दु है कि अपीलांट को दिनांक 30.06.1983 को पुख्ता आवंटन के पश्चात अपीलांट द्वारा समस्त राशि जमा करवाने के बाद 1995 में उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से govern होने लगी । अतः राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धांत shri Shobhalal M.Dashora माननीय सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा Revision N. 147/ Udaipur of 85 निर्णय दिनांक 31.121.1985 पेश किया जिसका सन्दर्भ पैरा 5 में

28/5/18
राजस्व अपील प्राधि
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिपादित हुआ है कि इसी व्यवस्था के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय पुनरावेदन निरस्त किये गये। मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रदत उपरोक्त व्यवस्था से पूर्णतया सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी मांगीलाल बनाम स्टेट आफ राजस्थान (1973 आर.आर.डी.708) के मामले में माननीय सदस्य श्री डी.सी.जोसफ द्वारा जो मत व्यक्त किया गया है उसे यहां उद्घृत किया जाना उपयुक्त होगाः ....

.... had the allottee in the meanwhile acquired khatedari rights. I would agree with him that he could not be touched, but since this is not so he is liable to ejectment if the conditions mentioned in Rule 14(4) of the new Rules are attracted.

इस उपरोक्त दृष्टांत में तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि आवंटी को आवंटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रा.पत्र के पूर्व खातेदारी अधिकार मिल चुके थे और ऐसी अवस्था में माननीय सदस्य महोदय ने उक्त आवंटन को निरस्तीकरण मानते हुए निर्णय दिया है लेकिन इसमें यह स्पष्टतया व्यक्त कर दिया कि यदि आवंटन निरस्तीकरण के प्रा.पत्र के पूर्व आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं तो उसमें वे हस्तक्षेप नहीं करें। इससे भी यह स्पष्ट है कि आवंटी को खातेदारी हक मिलने के बाद आवंटन निरस्तीकरण का कोई औचित्य नहीं था इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि खातेदारी अधिकार सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार है। जैसाकि योग्य अतिरिक्त जिलाधीश ने अपने निर्णय में माना है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 द्वारा उसे प्रदत किये गये हैं जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राज.काश्त.अधि. 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल किया जा सकेगा।

इस आलोक में अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच जयपुर माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता, SB Civil Writ Pettion N. 3909/ 2001 चिरंजीलाल वगैरह बनाम राजस्व मंडल में निर्णय दिनांक 05.01.2017 के पैरा सं. 24 में held किया है कि 24. In our opinion, the

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

settled legal position as stated above, would apply to the agricultural land in possession of the tenants/ khatedars also once the cases of such tenants/ khatedars are decided and their rights have been concluded and pursuant to the same they are in possession of the land. Ordinarily the revisional power under Section 82 of the Act of 1956 and under Section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year from the date of the order sought to be revised. Once a tenant/khatedar acquires tenancy/ khatedari rights and continues to be in possession of the land, his rights cannot be called in question after unreasonable delay. Such tenant/khatedars are required to be treated at par, for all purposes, with all other tenants/khatedars who acquired tenancy/ khatedari rights over the land. To permit the exercise of revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and/Or under Section 232 of the Act of 1955 after unreasonable delay, would amount to putting imprimatur of the Courts on the unreasonable and arbitrary exercise of power. Within a period of one year the tenant/khatedar of the land would have spent money for the improvement of the land, he would have arranged his affairs of life on the basis that he is in occupation of the land, he would have entered into several transactions on this basis and made many commitments. Therefore, ordinarily revisional powers under Section 82 of the Act of 1956 and under Section 232 of the Act of 1955, cannot be exercised after a period of one year. If this requirement of reasonable length of time is not read into the aforesaid provisions, the provisions would become unconstitutional.

in view of the discussions herein above, the writ petition deserves to be allowed, hence the same is allowed and the order dated 15th June, 2001 (Annexure-4) passed by the Board of Revenue Rajasthan, Ajmer, the order dated 28 th Apri1,1997 (Annexure-3) passed by the Revenue Appellate Authority, Alwar and the order dated 16th July,1997 (Annexure-2) passed by the Addl. Collector Alwar are quashed and set aside.

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट का आवंटन 1983 का होकर आवंटित भूमि में से 6 बीघा भूमि बहक राज 2017 में 34 वर्ष बाद की गई जिसके लिए न्याय सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच जयपुर में प्रस्तुत SB Civil Writ Pettion 6733/2003 राधाकृष्ण बनाम स्टेट वगैरह निर्णय दिनांक 26.08.2015 में माननीय न्याधिपति मोहम्मद रफीक ने view express

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया है कि The period of delay of 24 years, with which the application for cancellation of allotment has been filed by the respondent no.2 and has been accepted by Collector, cannot be regarded as reasonable delay. And counting from the date of allotment, the order of cancellation of allotment has been passed after unreasonable delay of 25 years, which period in itself is highly unreasonable. Petitioner was in cultivatory possession much prior to date of allotment and also during the aforesaid period of 25 years and thereafter continuously for last 15 years including the period of 12 years of pendency of this petition before this Court. In view of above, the impugned orders passed by the Board of Revenue, Revenue Appellate Authority and District Collector cannot be sustained and are accordingly set aside. Petitioner is held entitled to retain the land in dispute.

अपीलांट अभिभाषक द्वारा मयाद अधिनियम 1963 के part- IV उद्धरण का पठन किया है कि Aquistion of ownership by Possession का भी protection प्राप्त है। अतः अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों का गहनता से अध्ययन कर अभिभाषक अपीलांट के कथनों से सहमत होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर